कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2019–20 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों हेतु आशार्थियो का चयन इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा–माध्य /संस्था–एबी /बी–III/डीपीसी /प्रधानाचार्य / 2019–20 (नियमित) दिनांक 24.05.2019 द्वारा किया गया था। उक्त चयन आदेश में क.स. 224 पर श्री महेन्द्र देवपाल का नाम अंकित है। उक्त चयनित कार्मिकों के पदस्थापन की वरवक्त काउसिलिंग यह जानकारी प्राप्त हुई कि याचिकार्थी श्री महेन्द्र देवपाल का वर्ष 2018 में आर.ए.एस में चयन के आधार पर विभाग छोड़कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 08.08.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया। अतः इसके आधार पर इनका पदस्थापन प्रधानाचार्य उमावि के पद पर नही किया गया।

श्री महेन्द्र देवपाल द्वारा स्वयं के प्रधानाचार्य (उमावि) के पद पर चयन नहीं किये जाने के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे एस.बी. सिविल याचिका सख्या 10345/19 महेन्द्र देवपाल बनाम सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री महेन्द्र देवपाल को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष उचित अभ्यावेन प्रस्तुत प्रस्तुत करने एवं अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा 3 सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन दिनांक 22.07.2019 प्रस्तुत कर विभाग से यह अनुतोष चाहा गया है कि याचिकार्थी द्वारा अपना लियन (Lien) शिक्षा विभाग में मानते हुए पदोन्नति आदेश दिनांक 24.05.2019 के अन्तर्गत स्वयं को व्याख्याता से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत कर पदस्थापन करने एवं समस्त परिलाभ दिये जाने की मांग की गई है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2019 की पालना में परीक्षण करते हुए अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि श्री देवपाल द्वारा व्याख्याता (भूगोल) के पद पर विभाग में दिनांक 04.12.2010 को कार्यग्रहण किया गया था तथा इनका वरिष्ठता कमांक 808/2010–11 था। दिनांक 20.04.2018 को श्री देवपाल का चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा के माध्यम से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पद पर होने से उनके द्वारा दिनांक 08.08.2018 को उक्त पद पर कार्यग्रहण कर लिया गया। इस प्रकार से याचिकार्थी दिनांक 01.04.19 को व्याख्याता, स्कूल शिक्षा के पद पर कार्यरत नहीं था।

विभाग द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के प्रावधानार्न्तगत वर्ष 2019–20 की डीपीसी का आयोजन करवाया गया जिसमें दिनांक 01.04.2019 को विभाग में कार्यरत व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची से पात्रता तैयार की गई। विभाग द्वारा संभावित पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की जाकर आशार्थियो के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं वांछित संशोधन चाहे गए थे किन्तु श्री देवपाल द्वारा विभाग छोड़कर जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी विभाग को नहीं दी गई। नियमानुसार उक्त पात्रता सूची में वे आशार्थी सम्मिलित किये जाते है जो डीपीसी वर्ष की 01 अप्रेल को विभाग में कार्यरत हैं। श्री देवपाल के नाम के आगे अन्यन्त्र विभाग में प्रतिनियुक्ति का अंकन मानकर उक्त डीपीसी में इनका सहवन से वरिष्ठता एवं सहयोग्यता के आधार पर चयन किया गया परन्तु विभाग के सामने स्थिति स्पष्ट होने पर ज्ञात हुआ कि इनकी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के माध्यम से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में नियुक्ति हो चुकी है अतः इनका वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया चयन निरस्त योग्य है अतः इनके चयन को निरस्त करने हेतु आगामी रिव्यु डीपीसी में इनके प्रकरण को रखा जाना प्रस्तावित हैं।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाचार्य पद पर व्याख्याता पद के लियन के आधार पर पदोन्नति की मांग की गई है। चूंकि याचिकार्थी का लियन वर्तमान सेवा से पुनः पूर्व सेवा के व्याख्याता–भूगोल पद पर है न कि पदोन्नत प्रधानाचार्य पद पर क्योंकि प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों की वर्ष 2019–20 की डीपीसी में इनका चयन सहवन से हुआ है, जो कि निरस्त योग्य है। याचिकार्थी के पूर्व सेवा में लियन के आधार पर उन्हें व्याख्याता (भूगोल) पद पर दिनांक 03.07.2019 को विभाग में कार्यग्रहण करवाया गया है।

अतः याचिकार्थी द्वारा प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति, पदस्थापन व अन्य परिलाभों की मांग उपर्युक्त आधार पर न्यायोचित एवं नियमानुकूल नहीं होने के कारण प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाकः शिविरा/मा/सस्था/बी–III/कोके/या0–10345/महेन्द्र देवपाल/19/13 दिनांकः–02.08.2019

प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–विधि, जोधपुर/जयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर